न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 117 / 2024

वादीगण :–

1. अमराराम पुत्र स्व. नवलाराम
2. नाथाराम पुत्र स्व. नवलाराम
3. तुलछाराम पुत्र स्व. नवलाराम जातियान खारडिया सीरवी निवासीगण चोयलों का नया बेरा, चैनपुरा की ढाणी के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
4. भूरी देवी पुत्री स्व. नवलाराम पत्नी मोहनलाल जाति खारडिया सीरवी निवासी ग्राम अटबडा तहसील सोजत सिटी जिला पाली
5. केलीदेवी पुत्री स्व. नवलाराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति खारडिया सीरवी निवासी बेरा बढेर का नवोडा जीजी माता मन्दिर के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः–वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. – सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 4/12/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक–3, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5207 / 5 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5208 रकबा 1.1973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5209 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5210 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5211 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5219 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5223 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5224 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5226 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5227 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5242 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5245 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5246 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5248 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5249 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5258 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5262 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5263 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5266 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5622 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5631 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5633 रकबा 1.0922 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 10.4442 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादीगण व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है। जिसमें अणचीदेवी पत्नी नवलाराम का 1 / 30 वॉ हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार नवलाराम पुत्र मुकनाराम जाति सीरवी व अन्य दर्ज सहखातेदार के नाम दर्ज थी। खातेदार नवलाराम फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदार नवलाराम के स्थान पर उसके वारिस वादीगण व वादीगण की माता का नाम दर्ज किया गया। नवलाराम के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीगण की माता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम अणचीदेवी हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया तब से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादीगण की माता का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अणचीदेवी दर्ज चला आ रहा है जबकि वादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की माता का सही नाम अजकी है। जिसके सम्बंध में सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैक डायरी, जनआधारकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादीगण की माता का सही नाम अजकी दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादीगण द्वारा उनकी माता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने वादीगण को बताया कि वादीगण की माता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में अजकी दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण की माता का नाम अणचीदेवी दर्ज है। इसलिए जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण की माता के दर्ज नाम अणचीदेवी के स्थान पर अजकी दुरूस्त नही हो जाता तब तक वादीगण की माता का फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण के नाम दर्ज नही किया जा सकता तथा वादीगण द्वारा वादीगण की माता का वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम अणचीदेवी के स्थान पर उनके सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम अजकी दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण की माता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम अणचीदेवी के स्थान पर उनका सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम अजकी दुरूस्त किये जाना आवश्यक है। क्योकि वादीगण की माता के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम अणचीदेवी वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने से उनका फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण के नाम दर्ज नही हो रहा है, क्योकि उनका राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम उनके उपरोक्त सरकारी दस्तावेज से मिलान नही करता है। इसलिए वादीगण की माता के वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम अणचीदेवी के स्थान पर उनका उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार दर्ज सही नाम अजकी दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादीगण के पिता नवलाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीगण की माता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम अणचीदेवी दर्ज करने, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अणचीदेवी दर्ज चला आने से, वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण की माता का दर्ज नाम अणचीदेवी के स्थान पर सही नाम अजकी दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार करने, पर की इस हेतु श्रीमान सक्षम होन से वादकारण बमुकाम् ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 5207/5 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5208 रकबा 1.1973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5209 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5210 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5211 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5219 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5223 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5224 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5226 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5227 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5242 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5245 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5246 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5248 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5249 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5258 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5262 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5263 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5266 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5622 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5631 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5633 रकबा 1.0922

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 10.4442 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2078 से 2079 में वादीगण की माता का दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम अणचीदेवी पत्नी नवलाराम हिस्सा 1/30 जाति खारडिया (सीरवी) सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीगण की माता के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम अजकी पत्नी नवलाराम हिस्सा 1/30 जाति खारडिया (सीरवी) सा. देह खातेदार दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन व इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 5207/5 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नंबर 5298 रकबा 1.1978 हैक्टयर, खसरा नंबर 5209 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5210 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5211 रकबा 0. 4530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5219 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5223 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5224 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5226 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5227 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5242 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5245 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5246 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5248 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5249 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5258 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5262 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5263 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5266 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5622 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5631 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5633 रकबा 1.0922 हैक्टेयर कुल खसरा 22 रकबा 10.4442 हैक्टयर भूमि वर्तमान में वादीगण के संयुक्त खातेदारी में ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की सरहद में स्थित है। पैरा सं. 1 में वर्णित खसरों में वादीगण की माता अणचीदेवी का नाम सहखातेदारों के साथ दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण की माता का नाम जरिये विरासत नामा. सं. 7039 में नवलाराम पुत्र मुकनाराम जाति सीरवी के फौत होने पर प्रथम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। विरासत नामा. 7039 भरे जाने पर अणचीदेवी पत्नी नवलाराम, अमराराम पुत्र नवलाराम, तुलछाराम पुत्र नवलाराम, नाथाराम पुत्र नवलाराम, केलीदेवी पुत्री नवलाराम, भूरीदेवी पुत्री नवलाराम दर्ज हुआ। वादीगण की माता का वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेज अनुसार अजकी पत्नी नवलाराम है। जिसके साक्ष्य के रूप में वादीगण द्वारा आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, पहचानपत्र इत्यादि प्रस्तुत किये है। वादीगण की माता का नाम सरकारी दस्तावेज अनुसार अणचीदेवी पत्नी नवलाराम के स्थान पर अजकी पत्नी नवलाराम किया जाता है तो राजहित पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। पटवारी हल्का बिलाडा चक नं. 3 की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार अणचीदेवी पत्नी नवलाराम व अजकीदेवी पत्नी नवलाराम दोनों एक की व्यक्ति/औरत का नाम होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पैरा सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान में वादीगण की माता का अणचीदेवी पत्नी नवलाराम 1/30 के स्थान पर अजकीदेवी पत्नी नवलाराम 1/30 हिस्से की दुरूस्ती किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र अमराराम पुत्र स्व. नवलाराम का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 नामा.सं. 7039 ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की प्रति , प्रदर्श 2 नवलाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 3 वादी का माता का आधारकार्ड, प्रदर्श 4 वादी की माता का जनआधारकार्ड, प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 6 बैंक डायरी आन्ध्रा बैंक शाखा बिलाडा की प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 मृत्यु प्रमाण पत्र अजकी , प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र नवलाराम पुत्र मुकनाराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड अजकी पत्नी नवलाराम, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड अजकी देवी पत्नी नवलाराम, प्रदर्श 5 पहचान पत्र अजकी पत्नी नवलाराम, प्रदर्श 6 आन्ध्रा बैंक बिलाडा अजकी पत्नी नवलाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण की माता का नाम सरकारी दस्तावेजात में अजकी पत्नी नवलाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण की माता का नाम अणचीदेवी पत्नी नवलाराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण राजस्व रेकर्ड में अपनी माता का नाम अजकीदेवी पत्नी नवलाराम की घोषणा कराने के अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने अणचीदेवी पत्नी नवलाराम के स्थान पर अजकीदेवी पत्नी नवलाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 5207/5 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5208 रकबा 1.1973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5209 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5210 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5211 रकबा 0. 4530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5219 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5223 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5224 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5226 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5227 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5242 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5245 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5246 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5248 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5249 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5258 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5262 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5263 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5266 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5622 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5631 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5633 रकबा 1.0922 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 10. 4442 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में अणचीदेवी पत्नी नवलाराम के स्थान पर अजकीदेवी पत्नी नवलाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– **बनाम** **प्रतिवादी :–**

अमराराम राजस्थान सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 117 / 2024

निर्णय **दिनांक :–** 4/12/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 5207/5 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5208 रकबा 1.1973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5209 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5210 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5211 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5219 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5223 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5224 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5226 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5227 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5242 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5245 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5246 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5248 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5249 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5258 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5262 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5263 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5266 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5622 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5631 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5633 रकबा 1.0922 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 10.4442 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में अणचीदेवी पत्नी नवलाराम के स्थान पर अजकीदेवी पत्नी नवलाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4/12/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी और दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा